न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–964 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–2155 / 2026

UPLP01004763-2026

शुभम रस्तोगी उर्फ भानू उम्र 25 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी ग्राम मूड़ी थाना खमरिया, जिला खीरी हाल पता झाड़ू फैक्टरी के पीछे चांदमारी रोड थाना कोतवाली सदर जिला खीरी।

बनाम

उ0प्र0 राज्य

मु0अपराध संख्या–340 / 2026
धारा 331(3), 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0,
थाना कोतवाली सदर, जिला लखीमपुर खीरी।

19.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी / अभियुक्त शुभम रस्तोगी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–340 / 2026, धारा 331(3), 305(ए), 317(2) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली सदर जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी / अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकदमा राजीव दीक्षित द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 02.05.2026 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनॉक–02.05.2026, को समय दोपहर लगभग 02:00 बजे वादी के मकान में शुभम रस्तोगी, अंकित व एक अन्य चोर मकान में घुसकर बिजली का तार व बिजली की मोटर चोरी कर रहे थे, जिसके बाद वादी को भनक लगते ही उसके पुत्र विराज दीक्षित द्वारा 112 पर डायल करके पुलिस को शिकायत दर्ज करवायी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुॅचकर उक्त चोरों को रंगे हाथ चोरी करते हुये पकड़कर सारा सामान बरामद कर लिया है। इससे पूर्व

भी वादी के उक्त मकान पर दो बार चोरी हो चुकी है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर शुभम रस्तोगी, अंकित व एक अन्य चोर नाम पता अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 305ए, 331(3) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया था तथा दौरान विवेचना मामले में धारा 317(2) बी0एन0एस0 की बढ़ोत्तरी की गयी।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मुकदमें में साजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त दिनांक 03.05.2026 से जिला कारागार खीरी में निरूद्ध है। अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, वास्तविकता यह है कि अभियुक्त व अंकित ने मजदूरी का कार्य वादी के यहॉ किया और उसकी मजदूरी के पैसे बकाया थे, जिनको अभियुक्त ने कई बार मांगा, किन्तु बकाया मजदूरी का पैसा नहीं दिया और पैसा मांगने अभियुक्त व अंकित वादी के घर गये जहॉ वादी ने गाली गलौज किया तथा साजिश उसे मुदकमे में फॅसा दिया। सहअभियुक्त अंकित प्रजापति की जमानत स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है, दिखायी गयी बरामदगी फर्जी है तथा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त अपनी जमानत देने को तैयार है तथा जमानत पर छूटकर जमानत की सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— वादी मुकदमा के व्यक्तिगत विद्वान अधिवकता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना—पत्र का घोर विरोध करते हुये जमानत प्रार्थना—पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6— जमानत प्रार्थना—पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि दिनॉक—02.05.2026, को दिन के लगभग 02:00 बजे प्रार्थी/अभियुक्त व अन्य सह अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के मकान में घुसकर बिजली का तार व

बिजली की मोटर चोरी करते समय मौके पर ही रंगे हाथ मय चोरी के सामान पकड़ा जाना बतलाया गया है तथा मौके पर ही आरक्षी गुलफाम व होमगार्ड ओमकार की उपस्थिति भी बतलायी गयी है। केस डायरी के पर्चा सं0–2 में फर्द की नकल अंकित है, जिसमें यह दर्शित है कि मौके पर ही फर्द व गिरफ्तारी मेमो तैयार कर सर्व संबंधित के अलामात बनवाये गये, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट उक्त दिनॉक को ही धारा–331(3) व 305ए बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी है तथा धारा–317(2) बी0एन0एस0 की वृद्धि बाद में किया जाना दर्शित है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के सहअभियुक्त अंकित प्रजापति की जमानत दिनांक 23.05.2026 को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शुभम रस्तोगी उर्फ भानू द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को मु0–75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये।

1– प्रार्थी/अभियुक्त मामले के साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा या उन पर कोई दबाव डालने का प्रयास इत्यादि नहीं करेगा।

2–प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय में अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।

3–प्रार्थी/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य नष्ट नहीं करेगा।

4–माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र पत्रांक 19/एडमिन–जी–2 दिनांकित 03.07.2017 इलाहाबाद के अंतर्गत आपराधिक अपील सं0

2407/1986 सुखदेव बनाम सरकार में पारित निर्देश दिनांकित 17.12.2016 के तहत प्रार्थी/अभियुक्त के जमानतनामें स्वीकृत करते समय प्रतिभुओं के स्थायी व अस्थायी पता विवरण के साथ प्रतिभुओं के शिनाख्ती प्रपत्र भी पृथक से दाखिल किया जावेगा।

दिनॉक–19.06.2026

प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।